न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 28/2017

1. धूडी पुत्र मूला
2. करण पुत्र परमूली
3. कृष्ण कुमार पुत्र रघुवीर
4. गंगाबाई बेवा रघुवीर
5. राधे पुत्र मांगी
6. पप्पू पुत्र रामजीलाल, जातियान जाटव निवासी सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली

अपीलांटान

बनाम

1. सुरेश चन्द पुत्र जगदीश प्रसाद जाति महाजन, निवासी सूरौठ, तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. कमलेश पुत्री रघुवीर
3. पिंकी पुत्री रघुवीर
4. हरदयाल पुत्र रामजीलाल
5. योगेन्द्र पुत्र रामजीलाल
6. बल्लीसिंह पुत्र पप्पू जातियान जाटव निवासीयान सूरौठ, तहसील हिण्डौन सिटी जला करौली

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी
मु0न0 511/2004 निर्णय व डिग्री दिनांक 19.02.2016)

उपस्थित अभिभाषक
1. अपीलांटान की और से श्री ईश्वर सोनी,
2. रेस्पोडेंट सं.1 की ओर से श्री अशोक नीमनका

3.1.20
अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

निर्णय

दिनांक 03.01.2020

1. अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप जिला कलेक्टर हिण्डौन सिटी के मु0न0 511/2004 निर्णय व डिग्री दिनांक 19.02.2016 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/ वादी ने दावा इस आशय का पेश किया कि वादी की आराजी खसरा नम्बर 1945 रकबा 16 ऐयर वाके ग्राम सूरौठ में स्थित है जो वादी की खोतेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है उक्त आराजी से या उसके किसी भाग से प्रतिवादीगण का या जाटव समाज का या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध, कोई अधिकार, किसी प्रकार का नहीं रहा है ना ही उनका उपयोग उपभोग रहा है। वादी ने उक्त आराजी में सब्जी बाडी लगा रखी है वादी ने अपनी इस आराजी में नहर से बाजार को जो रास्ता जा रहा है इस पर आने के लिए खसरा नम्बर 1951 से लगवा 6 फीट 6 इन्च चौडा रास्ता छोडा हुआ है जो रास्ता वादी के उक्त खेत खसरा नम्बर 1945 रकबा 16 ऐयर का भाग है जो मात्र वादी के उपयोग उपभोग में हमेशा से है जिस रास्ते से प्रतिवादीगण का या

Scanned by CamScanner

अन्य किसी का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। प्रतिवादीगण ने एक अवैधानिक संगठन बना रखा है और वे खसरा नम्बर 1951 रकबा 4 ऐयर गै0 मु0 सिवायचक सरकारी पर नाजायज कब्जा कर नाजायज निर्माण कर रहे है और उक्त निर्माण में वादी के उक्त खेत खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1945 रकबा 16 ऐयर के भाग जो वादी ने रास्ते के लिए अपने खुद के उपयोग के लिए आम रास्ते पर आने के लिए छोड रखा है पर भी अतिक्रमण कर निर्माण करने पर उतारू है दिनांक 24.06.2004 को सुबह करीब 10 बजे प्रतिवादीगण व उसके हमरियान मौके पर आये और उक्त खेत खसरा नम्बर 1945 के भाग 6 फीट 6 इंच चौडे पर नाजायज कब्जा कर निर्माण करने लगे वादी ने उनसे ऐसा करने को मना किया तो वे वादी पर हमलावर होकर झगडे की सूरत पैदा कर दी एवं ऐलानिया यह कहा कि अभी तो हम सिवाचक के साथ तेरे खेत का 6 फीट 6 इंच हिस्सा ही ले रहे है और यदि रोका तो पूरे खेत पर कब्जा कर लेंगे व निर्माण कर लेंगे। अतः प्रतिवादीगण को खसरा नम्बर 1945 के किसी भाग पर कब्जा नहीं करने व खसरा नम्बर 1951 पर बनाई गई अवैध बाउण्ड्री व निर्माण को प्रतिवादीगण के खर्चे पर हटवाने पाबन्द फरमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश की है ।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषको की सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. हिण्डौन का निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने दावा स्थाई निषेधाज्ञा का अपीलांटस के विरूद्ध गलत तथ्यों के आधार पर यह कहते हुए पेश किया कि विवादग्रस्त आराजी ख0नं0 1945 रकबा 16 ऐयर खातेदारी की भूमि है तथा खसरा नम्बर 1951 रकबा 4 ऐयर जो राजस्व रिकार्ड में आबादी की भूमि है जिसमें रेस्पो0 नं0 1 अपनी खातेदारी की भूमि 1945 पर आने–जाने का रास्ता है, जो हमेशा से ही रेस्पो0 के उपयोग–उपयोग में रही है। ख0नं0 1951 रकबा 4 ऐयर पर अपीलांटस ने नाजायज कब्जा कर पुख्ता निर्माण कर रहे है तथा बाउण्ड्री बाल का निर्माण कर लिया है उसे हटाया जाकर अपीलांटस को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये जबकि विवादग्रस्त खसरा नम्बर 1951 रकबा 4 ऐयर भूमि से रेस्पो0 नं0 1 का किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ना ही मुताविक नक्शा ट्रेश में उक्त ख0नं0 1951 पर रास्ता दर्ज नहीं है उक्त भूमि का ख0नं0 1951 पर करीब डेढ सौ वर्षो से जाटव समाज का कब्जा रहा है जिस पर संत रविदास आश्रम बना हुआ है जिसकी पुख्ता चारदीवारी हो रही है उसमें एक पुराना कुआँ है जो करीबन डेढ सौ साल पुराना है तथा भूखण्ड की पश्चिम दिशा में सामुदायिक भवन बना हुआ जो राज्य सरकार द्वारा सन् 2004–05 में स्वीकृत हुआ तथा पूर्वी दिशा में लोहे का बडा

Scanned by CamScanner

गेट लगा हुआ है तथा दक्षिण की तरफ़ मुख्य गेट बना हुआ है इससे पूर्णरूपेन स्पष्ट है कि उक्त खसरा नम्बर 1951 पर अपीलांटस का बहुत पुरान कब्जा साबित है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानून से परे जाकर रेस्पो0 के पक्ष मे डिक्री करने में कानून की सरासर अवहेलना की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व इस कानूनी बिन्दू पर कोई गौर नहीं किया कि रेस्पो0 ने दावा स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश कर अपीलांटस को पाबन्द हेतु रिलिफ चाही थी जबकि ख0नं0 1951 सिवायचक आबादी रिकार्ड में दर्ज है। विवादित आरजीयात ख0न0 1951 की किस्म राजस्व रिकार्ड मे गैर मुमकिन आबादी दर्ज है जिसका श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। रेस्पो0 ख0नं0 1951 का खातेदार भी नहीं है जब खातेदार ही नहीं है, तो स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करने का रेस्पो0 को कोई अधिकार नहीं है ना ही रेस्पो0 का खसरा नं0 1951 पर कब्जा है कानूनन स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश करने के दिन वादी का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा होना आवश्यक है जबकि उक्त विवादित आराजी पर डेढ सौ वर्षों से जाटव समाज का कब्जा चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय व डिक्री मरे हुऐ व्यक्ति के विरूद्ध जारी की है, दावे में प्रतिवादी नम्बर 5 रामजीलाल पुत्र किशोरी की मृत्यु दिनांक 14.10.2014 को हो चुकी थी। कानूनन वादी/रेस्पो0 को दावे में कायम मुकाम का कार्यवाही करनीं चाहिए, बिना कायम मुकाम की कार्यवाही के ही निर्णय दिया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री खारिज फरमाई जावे ।

4. रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील में तर्क दिया कि रेस्पो0/ वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1945 रकबा 16 ऐयर वाके ग्राम सूरौठ में स्थित है जो वादी की खोतेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है उक्त आराजी से या उसके किसी भाग से प्रतिवादीगण का या जाटव समाज का या अन्य किसी व्यक्ति का कोई संबंध, कोई अधिकार, किसी प्रकार का नहीं रहा है ना ही उनका उपयोग उपभोग रहा है। वादी ने उक्त आराजी में सब्जी बाडी लगा रखी है वादी ने अपनी इस आराजी में नहर से बाजार को जो रास्ता जा रहा है इस पर आने के लिए खसरा नम्बर 1951 से लगवा 6 फीट 6 इन्च चौडा रास्ता छोडा हुआ है जो रास्ता वादी के उक्त खेत खसरा नम्बर 1945 रकबा 16 ऐयर का भाग है जो मात्र रेस्पो0 के उपयोग उपभोग में हमेशा से है जिस रास्ते से अपीलांटस का या अन्य किसी का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है। अपीलांटस ने एक अवैधानिक संगठन बना रखा है और वे खसरा नम्बर 1951 रकबा 4 ऐयर गै0 मु0 सिवाचक सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर नाजायज निर्माण कर रहे है और उक्त निर्माण में वादी के उक्त खेत खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 1945 रकबा 16 ऐयर के भाग जो रेस्पो0 ने रास्ते के लिए अपने खुद के उपयोग के लिए आम रास्ते पर आने के लिए छोड रखा है उसका ही भाग है। जिस पर रेस्पो0 काबिज है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो/वादी द्वारा

Scanned by CamScanner

प्रस्तुत दस्तावेजात का विधि अनुसार विवेचन करने के पश्चात ही विधि अनुरूप निर्णय पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही कर कानूनन निर्णय पारित किया है। इस प्रकार अपीलांटान की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया गया। हाजा न्यायाल की पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं तहत न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन व अध्ययन किया गया इस पर यह तथ्य सामने आये कि कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी ख0न0 1951 जो जमाबंदी सम्वत 2063–66 गैर मुमकिन आबादी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। गैर मुमकिन आबादी के संबधं मे वाद का सुनने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नही होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह विवेचित नही किया गया है कि राजस्व न्यायालय को किस प्रकार आबादी के प्रकरणो का श्रवणाधिकार प्राप्त है। इसी प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे के संबंध मे जो साक्ष्य प्राप्त की गई है उनका विश्लेषण भी अपने निर्णय मे नही किया है। प्रतिवादी नं0 5 रामजीलाल पुत्र किशोरी जाटव की मृत्यु दिनांक 14.10.2014 को होना मृत्यु प्रमाण पत्र से साबित है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 19.02.2016 को पारित की गयी है उसमे मृतक के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है। इस प्रकार उक्त विवेंचन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र रेस्पो0/वादी द्वारा प्रस्तुत तर्को का अवलोकन कर ही निर्णय पारित किया गया है। जबकि किसी वाद का निस्तारण करने हेतु प्रत्येक साक्ष्य/सबूत ,दस्तावेजात का विश्लेषण कर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार किया जाना उचित है।

6. अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम के मु0नं0 511/2004 के निर्णय व डिग्री दिनांक 19.02.2016 को अपास्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवेचित कथनों के मध्यनजर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम मे दिनांक 05.02.2020 को साक्ष्य/सुनवाई हेतु उपस्थित होवे।

7. निर्णय आज दिनांक 03.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3.1.20

(बी एल. रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2020.03.03 14:21:21 IST
Reason: SelfAttested
Location: